



2026:AHC:162458

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 27049 / 2026

प्रियंका

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विरोधी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : राकेश कुमार श्रीवास्तव

विरोधी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव और राज्य के विद्वान ब्रीफ होल्डर श्री मनोज कुमार सिंह को सुना।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 508/2023 अंतर्गत धारा 302, 201, 120बी आई.पी.सी., पुलिस स्टेशन - क्रॉसिंग रिपब्लिक, जिला - गाजियाबाद में विचारण लंबित के दौरान जमानत प्रदान करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले की एफआईआर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज की गई थी और एफआईआर के अनुसार, सूचनादाता के भाई का विवाह आवेदक से हुआ था, लेकिन आवेदक का उससे झगड़ा होता रहता था और 22.12.2023 को जब सूचनादाता और सूचनादाता की मां ने आवेदक से मोबाइल पर बात की और मृतक के बारे में जानकारी ली, तो उसने बताया कि उसके पड़ोस में किसी की हत्या हुई है। इसके बाद सूचनादाता के भाई का शव 22.12.2023 को ही बरामद किया गया।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि विवेचना के दौरान मात्र संदेह के आधार पर मृतक की पत्नी आवेदक को अभियुक्त बनाया गया है।
5. उन्होंने आगे तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, आवेदक और सह-अभियुक्त गर्जन द्वारा बताए जाने पर मृतक की मोटरसाइकिल और एक चाकू बरामद किया गया था, किन्तु किसी अन्य सम्पोषक साक्ष्य के अभाव में, मात्र उपरोक्त बरामदगी के आधार पर प्रथम दृष्टया इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक ने सह-अभियुक्त गर्जन के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की है, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कथित रूप से बरामद चाकू को इस अपराध से नहीं जोड़ा जा सकता है।
6. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि सह-अभियुक्त गर्जन को भी इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 21508/2026 में पारित आदेश दिनांक 09.07.2026 के माध्यम से जमानत पर रिहा कर दिया गया है और उनका जमानत आदेश पेपर-बुक के पृष्ठ-83 पर संलग्न है।
7. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक महिला है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 27.12.2023 अर्थात् पिछले ढाई वर्ष से अधिक समय से जेल/कारागार में है।
8. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तथ्यात्मक तर्कों का खंडन नहीं कर सके।
9. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और मामले के अभिलेखों का परिशीलन किया।
10. हालांकि, आवेदक मृतक की पत्नी है और आरोप के अनुसार उसने सह-अभियुक्त गर्जन के साथ अवैध संबंध बनाए थे और इसलिए उसने उसके साथ मिलकर अपने पति अर्थात् वर्तमान मामले के मृतक की हत्या की किन्तु संदेह के अतिरिक्त आवेदक के विरुद्ध एकमात्र साक्ष्य यह है कि उसके बताए जाने पर मृतक की मोटरसाइकिल और अपराध में कथित रूप से इस्तेमाल किया गया एक चाकू बरामद किया गया था। इस न्यायालय के विचार में, किसी अन्य

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सम्पोषक साक्ष्य के अभाव में, मात्र उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक इस अपराध में संलिप्त है।

11. इसके अतिरिक्त, कथित तौर पर बरामद चाकू का भी वर्तमान अपराध से कोई संबंध नहीं पाया जा सका।

12. इसके अतिरिक्त, इससे यह भी पता चलता है कि सह-अभियुक्त गर्जन को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है।

13. इसके अतिरिक्त, इससे यह भी पता चलता है कि आवेदक महिला है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 27.12.2023 अर्थात् पिछले ढाई वर्ष से अधिक समय से जेल/कारागार में है।

14. अतः, ऊपर चर्चा किए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने की पात्र है।

15. तदनुसार, मामले के गुण-दोषों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

16. उपर्युक्त मामले में संलिप्त आवेदक - **प्रियंका** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये :-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगी, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगी जिससे कि वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से विमुख हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगी।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



17. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत निरस्त करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

18. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोषों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

अगस्त 4, 2026

शाहरोज

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।